अंतिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, ''मेट्रो प्लाजा'', बिटट्न मार्केट, भोपाल—462016

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2019

क्र. 1780–म.प्र.वि.नि.आ.–2019.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 61(ज) तथा 86(1)(ङ) के साथ पठित धारा 181(1) तथा धारा 181(2) (य त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित्त उसे सशक्त बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत् का सह–उत्पादन तथा उत्पादन) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2010 में आठवां संशोधन

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :–

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम **''मध्यपदेश विद्युत् नियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत् का सह–उत्पादन तथा उत्पादन) (पुनरीक्षण**

प्रथम) विनियम, 2010 (आठवां संशोधन) {एआरजी–33(1)(viii), का 2019}" है।

(2) ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे।

2. उक्त विनियमों में, विनियम 3 में, उप–विनियम (चौदह) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–विनियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

(चौदह–क) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए 'नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध उत्पादन संयंत्र' से अभिप्रेत है, किसी व्यक्ति द्वारा उसके स्वयं के उपयोग के लिये प्राथमिक विद्युत् उत्पादन हेतु मध्यप्रदेश राज्य में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत् संयंत्र तथा इसमें सम्मिलित है किसी सहकारी सोसायटी या संघ के सदस्यों के उपयोग के लिए प्राथमिक विद्युत उत्पादन हेतु सहकारी सोसायटी या व्यक्तियों के संघ द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में स्थापित विद्युत् संयंत्र तथा जो समय–समय पर यथा संशोधित विद्युत् नियम, 2005 के नियत 3(1) (क) एवं 3(1) (ख) में अन्तर्विष्ट शर्तों का समाधान करता है; "।

3. **विनियम 12 का संशोधनः–**

(1) उप–विनियम 12.1 में, खण्ड (छह) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :

"(छह) यदि वित्तीय वर्ष के अंत में अधिकोषित की गई विद्युत् की मात्रा तब भी, असमायोजित रह जाती है तो इस प्रकार अवशेष विद्युत को क्रय की गई विद्युत् माना जाएगा तथा इसका भुगतान विद्युत् वितरण अनुज्ञप्तिधारी/एम पी पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा, यथास्थिति सौर/पवन ऊर्जा की उस चर्ष बोली प्रक्रिया में पाई गई न्यूनतम विद्युत्–दर (टैरिफ) के बराबर दर पर किया जाएगा। जहां उक्त वर्ष के दौरान कोई भी विद्युत–दर नहीं पाई जाए वहां अंतिम पूर्व वर्ष में उपलब्ध न्यूनतम विद्युत्–दर पर भुगतान किया जाएगा। सौर/पवन ऊर्जा से अन्य किसी नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत् उत्पादन संयन्त्र के प्रकरण में यह दर विद्युत् वितरण अनुज्ञप्तिधारियों हेतु प्रचलित खुदरा विद्युत् प्रदाय टैरिफ आदेश के अन्तर्गत ऐसी अवधि के लिये आयोग द्वारा अवधारित की गई औसत विद्युत् क्रय लागत होगी।

(2) उप–विनियम 12.2 के पश्चात्, निम्नलिखित उप–विनियम जोड़े जाएं, अर्थात् :–

"12.3 नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत्–उत्पादन संयन्त्र जिसका पंजीयन विनियमों के विनियम 12 घ के अधीन विद्युत् वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ

कराया जाएगा, ऐसे संयंत्र को विनियम 12.1 में उपबंधित किए गए अनुसार अधिकोषण सुविधा प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।"

12.4 नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत्–उत्पादन संयंत्र जिसका पंजीयन विद्युत् वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ इन विनियमों के विनियम 12घ के अधीन नहीं कराया जाएगा, ऐसे संयंत्र के लिए उप विनियम 12.1 में यथा उपबंधित अधिकोषण सुविधा प्राप्त करने की पात्रता होगी।"

4. विनियम 12 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम जोड़े जाएं, अर्थात्:–

"12 क नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत्–उत्पादन संयन्त्र हेतु सिद्धान्त, ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापन और प्रयोज्यता की रीति निम्नानुसार होगी:–

(क) नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत्–उत्पादन संयन्त्र, भले ही वह आबद्ध उपयोगकर्ता(ओं) के परिसर में या फिर आबद्ध उपयोगकर्ता(ओं) के परिसर के बाहर स्थापित किया गया हो, के माध्यम से इन विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए वितरण अनुज्ञप्तिधारी की शक्ति के अनुसार अधिशेष विद्युत विक्रय की पात्रता होगी:

परन्तु

(एक) ऐसे आबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयन्त्र का/के उपयोगकर्ता अनिवार्य रूप से मध्यप्रदेश राज्य में किसी विद्युत् वितरण अनुज्ञप्तिधारी का/के उपभोक्ता होगा/होंगे।

(दो) विद्युत् की निकासी हेतु अधोसंरचना विकास के लिये किये गये व्यय, यदि कोई हों, तो वे नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत्–उत्पादन संयन्त्र के स्वामी द्वारा वहन किये जाएंगे।

(तीन) आबद्ध उपभोक्ता अपने परिसर के भीतर समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (ग्रिड संयोजित शुद्ध मापन) विनियम, 2015 के अनुसार शुद्ध मापन की सुविधा प्राप्त नहीं कर रहा है।

(ख) आबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयन्त्र को इन विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए तृतीय पक्षकार को विक्रय के लिए पात्रता होगी :

परन्तु

(एक) विद्युत् की निकासी तथा आपूर्ति हेतु अधोसंरचना विकास पर किये गए कोई व्यय, यथास्थिति, नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत् उत्पादन संयन्त्र के स्वामी अथवा तृतीय पक्षकार उपभोक्ता द्वारा वहन किये जाएंगे।

(दो) तृतीय पक्षकार उपभोक्ता समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग विनियम, 2015 के अनुसार शुद्ध मापन की सुविधा प्राप्त नहीं कर रहा है।

12(ख). पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापनः–

(एक) नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत्–उत्पादन संयन्त्र हेतु, पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण तथा विचलन–व्यवस्थापन, ऊर्जा लेखांकन यथा व्यवस्थापन समय–समय पर यथासंशोधित म प्र वि नि आ (पवन तथा सौर विद्युत् उत्पादन केन्द्रों का पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन–व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 के उपबन्धों के अनुसार 15 मिनट के समय–खण्ड वार के आधार पर उपयुक्त विनियमों में निर्धारित सीमाओं के अध्यधीन किए जाएंगे :

परन्तु नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत्–उत्पादन संयन्त्रों द्वारा हितग्राही उपभोक्ताओं को प्रदाय की गई ऊर्जा का लेखांकन तथा व्यवस्थापन सम्पूर्ण बिलिंग अवधि हेतु प्रचलित अनुबंध के अनुसार ऐसे उपभोक्ताओं को लागू 15 मिनट के समय–खण्ड में किया जाएगा।

(दो) किसी सौर तथा पवन नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत्–उत्पादन संयन्त्र के माध्यम से अन्तःक्षेपित अधिशेष ऊर्जा का मापन प्रत्येक 15 मिनट के समय खण्ड हेतु किया जाएगा तथा अधिशेष ऊर्जा की गणना की जाएगी। ऐसी अधिशेष ऊर्जा का व्यवस्थापन प्रत्येक बिलिंग अवधि के अन्त में उस वर्ष सौर/पवन ऊर्जा की बोली प्रक्रिया में पाई गई न्यूनतम विद्युत्–दर के अनुसार किया जाएगा तथा जिस हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी/एम.पी. पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा, यथास्थिति, सौर/पवन विद्युत् उत्पादन संयन्त्रों के साथ विद्युत् क्रय अनुबन्ध निष्पादित किया गया हो। यदि उक्त वर्ष के लिये न्यूनतम विद्युत्–दर पाई नहीं जाती है तो पूर्व अंतिम वर्ष में पाई गई विद्युत्–दर पर व्यवस्थापन किया जाएगा। सौर/पवन को छोड़कर किसी अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत्–उत्पादन के स्त्रोत के प्रकरण में प्रत्येक बिलिंग अवधि के अन्त में ऐसी अधिशेष ऊर्जा का व्यवस्थापन आयोग द्वारा उक्त अवधि हेतु उसके खुदरा विद्युत्–प्रदाय टैरिफ आदेश में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों हेतु प्रचलित अवधारित की गई प्रयोज्य औसत विद्युत् क्रय लागत के आधार पर किया जाएगा।

(तीन) यदि नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत्–उत्पादन संयन्त्र से युक्त नवीकरणीय ऊर्जा आबद्ध उपभोक्ता ग्रिड से विद्युत् का आयात करता हो तो इस प्रकार की ऊर्जा का निपटान/व्यवस्थापन वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु प्रचलित खुदरा विद्युत्–प्रदाय टैरिफ आदेश में ऐसे आबद्ध उपभोक्ता हेतु लागू विद्युत्–दर पर किया जाएगा तथा ऐसी ऊर्जा का व्यवस्थापन मध्यप्रदेश राज्य में संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के आबद्ध उपयोगकर्ताओं के साथ निष्पादित तत्संबंधी अनुबन्ध के उपबन्धों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा :

परन्तु आबद्ध भार कारक की गणना के प्रयोजन हेतु नवीकरणीय ऊर्जा के उपभोक्ता (नवीकरणीय ऊर्जा के आबद्ध विद्युत्–उत्पादन स्त्रोत के माध्यम से उपभोग किये गये यूनिटों को सम्मिलित करते हुए) कुल उपभोग किये गये यूनिटों को मान्य किया किया जाएगा। किसी भी दशा में आबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत्–उत्पादन स्त्रोत द्वारा उत्पादित की गई आधिक्य ऊर्जा को, ग्रिड से आधारित आबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से आयात की गई ऊर्जा द्वारा समायोजित (नेट–ऑफ) नहीं किया जाएगा।

(चार) आबद्ध विद्युत्–उत्पादन संयन्त्र आधारित नवीकरणीय ऊर्जा का आबद्ध उपभोक्ता प्रतिसहायतानुदान प्रभार, चक्रण प्रभार तथा अतिरिक्त अधिभार का भुगतान करने के दायित्वाधीन नहीं होगा परन्तु उसे अपने स्वयं के उपयोग के लिये या आबद्ध उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग हेतु, जैसा कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है, विद्युत् की हानियों को वहन करना होगा :

परन्तु आबद्ध विद्युत खपत, यथास्थिति, वितरण और/या पारेषण, अनुज्ञप्तिधारी की वितरण और/या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली के उपयोग के बिना किया जा रहा हो तो आबद्ध उपयोगकर्ता हानियों को वहन नहीं करेगा :

परन्तु यह और भी कि आबद्ध उपयोगकर्ताओं से भिन्न अन्य किसी उपभोक्ता ऊर्जा प्रदाय की दशा में ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति को समस्त निर्बाध (खुली) पहुंच प्रभारों का भुगतान जिसमें प्राप्ति सहायतानुदान प्रभार, अतिरिक्त प्रभार, और आयोग द्वारा यथा अवधारित चक्रण प्रभार सम्मिलित हैं; का भुगतान करना होगा तथा हानियों को भी वहन करना होगा।

(पांच) ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत्–उत्पादन संयन्त्र के आबद्ध उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को आयोग द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए जारी

किए गए खुदरा विद्युत् प्रदाय टैरिफ आदेश में लागू की गई एचवी–3 श्रेणी के अन्तर्गत किसी भी छूट की पात्रता नहीं होगी।

(छह) नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत्–उत्पादन संयन्त्र को यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि वह विद्युत नियम, 2005 तथा पश्चातवर्ती संशोधनों में यथा उपबंधित आबद्ध विद्युत् उत्पादन संयंत्रों की अपेक्षाओं का ध्यान रखे :

परन्तु किसी वित्तीय वर्ष में विद्युत् नियम, 2005 में यथा उपबंधित आबद्ध उत्पादन संयन्त्र की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं की जाती है, तो उस वित्तीय वर्ष में उत्पादन संयन्त्र को आबद्ध उत्पादन संयंत्र के प्रलाभों की पात्रता नहीं होगी।

12 ग. नवीकरणीय क्रय दायित्व :

वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत्–उत्पादन संयन्त्र से क्रय की गई अधिशेष विद्युत् के लिये वितरण अनुज्ञप्तिधारी को नवीकरणीय विद्युत् क्रय आबन्ध अर्ह होंगे। उपभोक्ता को सर्वप्रथम नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत्–उत्पादन संयन्त्र से उसके स्वयं के नवीकरणीय क्रय आबन्ध के अन्तर्गत स्वयं के उपभोग हेतु अर्ह होंगे। तथापि, यदि आबद्ध उपभोक्ता की स्वयं की खपत उसके नवीकरणीय क्रय आबन्ध से अधिक हो तो विद्युत् की ऐसी मात्रा को वितरण अनुज्ञप्तिधारी के नवीकरणीय क्रय आबन्ध के अनुपालन हेतु मान्य किया जाएगा।"

"12 घ. आवेदन को प्रक्रियाबद्ध करना तथा प्रयोज्य शुल्क:–

(एक) इस संशोधन के उपबंधों के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई सुविधा प्राप्त करने हेतु आशयित नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत्–उत्पादन संयन्त्रों को अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार विनिर्दिष्ट प्ररूप में वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ स्वयं का पंजीयन, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय में पंजीयन शुल्क रू 1000/– (एक हजार मात्र) जमा करना होगा । वितरण अनुज्ञप्तिधारी, इस बारे में अपने तत्संबंधी नामांकित कार्यालयों के विवरण अपनी बेबसाईट पर उपलब्ध कराएंगे। वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपनी बेबसाईट पर और नामांकित कार्यालय में प्ररूप उपलब्ध कराएंगे। विद्यमान आबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उपभोक्ता जो उपरोक्त सुविधा प्राप्त करने का आशय रखते हों, को उनका आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा तथा उन्हें अपने नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत्–उत्पादन संयन्त्र का संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ पंजीयन कराना होगा। नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत्–उत्पादन संयन्त्र पर कोई भी फीस उद्ग्रहणीय नहीं होगी।

(दो) पंजीयन शुल्क या, यथास्थिति, आवश्यक प्रलेखों के साथ समस्त प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी आवेदन की पावती देगा ।

(तीन) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, यदि चाही गई निर्बाध पहुंच विद्यमान संविदा मांग से अधिक है, तो संभाव्यता प्रतिवेदन के अनुसार अपेक्षित आबद्ध उपभोक्ता के साथ निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध की प्रति, उपभोक्ता द्वारा जमा की जाने वाली प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु रकम, यदि कोई हो के साथ, यथास्थिति, आवेदन की स्वीकृति/निरस्तीकरण के बारे में उपभोक्ता को संसूचित करेगा।

(चार) नवीकरणीय ऊर्जा आधारित आबद्ध विद्युत्–उत्पादन संयन्त्र, समय–समय पर यथा संशोधित मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग अन्तर्राज्यीय खुली पहुंच विनियम, 2005 के अनुसार, इन विनियमों के विनियम 12ख (चार) में विनिर्दिष्ट बाध्यताओं को छोड़कर समस्त की पूर्ति करेगा।

आयोग के आदेशानुसार,
शैलेन्द्र सक्सेना, आयोग सचिव.

Bhopal, the 17th December 2019

No. 1780.—In exercise of the powers conferred by Section 61(h), 86(1) (e) read with Section 181(1) and Section 181(2) (zp) of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in that behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Electricity Rehulatory Commission (cogeneration and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy) (Revision-I Regulations, 2010 namely:—

Eighth amendment to Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Cogeneration and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy) (Revision-I) Regulations, 2010 [RG- 33(I) of 2010]

1. Short Title and Commencement –

1.1 These Regulations shall be called "**Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Cogeneration and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy) (Revision-I) Regulations, 2010 (Eight Amendment) {ARG-33(I)(viii) of 2019}**

1.2 These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

1.3 These Regulations shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.

2. In the said Regulations, in regulations 3, after sub-regulation (xiv), the following sub-regulations shall be inserted, namely: -